न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल महोदय
ग्वालियर (म0प्र0)

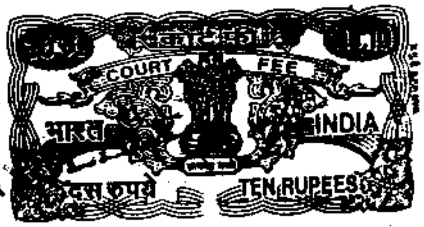

शिव कुमार पटेल पिता गोवधन पटेल निवासी ग्राम दुलहरा तहसील–अनूपपुर जिला–अनूपपुर म0प्र0 अपील – 152-III-16 ....अपीलीर्थी

बनाम

1. कुन्ज बिहारी पिता रामकरन पटेल निवासी ग्राम दुलहरा तहसील अनूपपुर जिला–अनूपपुर म0प्र0
2. शासन म0प्र0 जरिये कलेक्टर अनूपपुर ....उत्तरवादीगण

राजस्व अपील विरूद्ध आदेश श्रीमान् कमिश्नर महोदय संभाग शहडोल प्र0क0–178/अपील/2008–09 दिनॉक 26.10.2015

अपील अन्तर्गत धारा 44 म0प्र0भू0रा0सं0–1959

मान्यवर

अपीलार्थी निम्नानुसार अपील पेश कर विनय करता है :–

मामले का संक्षिप्त तथ्य

ग्राम सकरिया तहसील अनूपपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 284/1 रकबा 0.210 हे. अपीलार्थी के पट्टे कब्जे दखल व मालिकाना हक की भूमि है जिस पर अपीलार्थी मकान, बाड़ी बनाकर विगत 30 वर्ष पहले से आबाद है। पूर्व में उक्त आराजी म.प्र. शासन के नाम थी, जिसका व्यवस्थापन पट्टा अपीलार्थी के नाम राजस्व प्रकरण कमांक 105/अ–19 (2)/90–91 निर्णय दिनांक 22.06.1991 न्यायालय तहसीलदार अनूपपुर द्वारा प्रदान किया गया था। वर्ष 1997 में दुलहरा में पदस्थ पटवारी के साथ कतिपय कारणों से अपीलार्थी का वाद विवाद व मनमोटाव हो गया, जिसके कारण पटवारी हल्का ने दिनांक 16.09.1997 को एक गलत आधारहीन प्रतिवेदन प्रतिवादी कमांक 1 कुंजबिहारी के [illegible]

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A-152-III/16 जिला अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/8/16	अपीलार्थी अधिवक्ता श्री उमेश पाण्डे को आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं। अतः अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। (हस्ताक्षर) सदस्य	

[कृ. प. उ.